

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, इटावा, गोरखपुर, ललितपुर, संत कबीर नगर, रायबरेली, जौनपुर, अयोध्या, बस्ती, उन्नाव, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट, आगरा, बलिया, भदोही, कानपुर नगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, मीरजापुर, बहराइच, अमेठी, देवरिया, फतेहपुर, सोनभद्र, वाराणसी, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्धनगर, चन्दौली एवं बुलन्दशहर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26 मार्च, 2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक: 27.06.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा वैमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा अधिसूचना सं०-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक: दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य-जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वर्ष 2019-20 में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि **रु० 19,80,00,000/- (रुपये उन्नीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)**, कालम-3 में अंकित धनराशि को कालम-2 में अंकित जनपद के जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र०सं० | जनपद का नाम  | स्वीकृत धनराशि(लाख रु० में) |
|---------|--------------|-----------------------------|
| 1       | 2            | 3                           |
| 1       | लखीमपुर खीरी | 85.00                       |
| 2       | कानपुर देहात | 25.00                       |
| 3       | कौशाम्बी     | 90.00                       |
| 4       | इटावा        | 10.00                       |
| 5       | गोरखपुर      | 50.00                       |
| 6       | ललितपुर      | 30.00                       |
| 7       | संत कबीर नगर | 25.00                       |
| 8       | रायबरेली     | 50.00                       |
| 9       | जौनपुर       | 125.00                      |
| 10      | अयोध्या      | 60.00                       |
| 11      | बस्ती        | 45.00                       |
| 12      | उन्नाव       | 60.00                       |
| 13      | प्रयागराज    | 10.00                       |
| 14      | अम्बेडकर नगर | 150.00                      |
| 15      | चित्रकूट     | 30.00                       |
| 16      | आगरा         | 5.00                        |
| 17      | बलिया        | 50.00                       |
| 18      | भदोही        | 290                         |
| 19      | कानपुर नगर   | 40.00                       |

|     |              |                                      |
|-----|--------------|--------------------------------------|
| 20  | बाराबंकी     | 60.00                                |
| 21  | सीतापुर      | 90.00                                |
| 22  | गोंड्डा      | 25.00                                |
| 23  | मीरजापुर     | 60.00                                |
| 24  | बहराइच       | 40.00                                |
| 25  | अमेठी        | 150.00                               |
| 26  | देवरिया      | 30.00                                |
| 27  | फतेहपुर      | 30.00                                |
| 28  | सोनभद्र      | 70.00                                |
| 29  | वाराणसी      | 75.00                                |
| 30  | मेरठ         | 25.00                                |
| 31  | बागपत        | 15.00                                |
| 32  | गौतमबुद्धनगर | 10.00                                |
| 33  | चन्दौली      | 50.00                                |
| 34  | बुलन्दशहर    | 20.00                                |
| योग |              | 1980.00                              |
|     |              | (रुपये उन्नीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) |

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक



व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 156(1)/एक-10-2020-33(36)/2018 टीसी-1, दिनांक: 26 मार्च, 2020

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)

सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020  
आवंटन दिनांक-26/03/2020

प्रेषण संख्या:- 156  
आवंटन आदेश संख्या:- 161-33  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                     |                    | 42-अन्य व्यय           | योग                    |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1     | आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--           | वर्तमान<br>प्रगामी | 500000<br>44500000     | 500000<br>44500000     |
| 2     | झटावा-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रगामी | 1000000<br>33000000    | 1000000<br>33000000    |
| 3     | कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 4000000<br>58000000    | 4000000<br>58000000    |
| 4     | प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 1000000<br>66000000    | 1000000<br>66000000    |
| 5     | जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--         | वर्तमान<br>प्रगामी | 12500000<br>55500000   | 12500000<br>55500000   |
| 6     | बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>42177700    | 5000000<br>42177700    |
| 7     | गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>59000000    | 5000000<br>59000000    |
| 8     | बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रगामी | 4500000<br>41500000    | 4500000<br>41500000    |
| 9     | उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--         | वर्तमान<br>प्रगामी | 6000000<br>46000000    | 6000000<br>46000000    |
| 10    | रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>49000000    | 5000000<br>49000000    |
| 11    | लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 8500000<br>51500000    | 8500000<br>51500000    |
| 12    | अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 6000000<br>55000000    | 6000000<br>55000000    |
| 13    | ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 3000000<br>47000000    | 3000000<br>47000000    |
| 14    | कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 2500000<br>39500000    | 2500000<br>39500000    |
| 15    | संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 29000000<br>62305000   | 29000000<br>62305000   |
| 16    | अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 15000000<br>74000000   | 15000000<br>74000000   |
| 17    | संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 2500000<br>37000000    | 2500000<br>37000000    |
| 18    | कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 9000000<br>49500000    | 9000000<br>49500000    |
| 19    | चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 3000000<br>40000000    | 3000000<br>40000000    |
|       | योग                                     | वर्तमान<br>प्रगामी | 123000000<br>950482700 | 123000000<br>950482700 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया बारह करोड़ तीस लाख  
रूपया पंचानवे करोड़ चार लाख बयासी हजार सात सौ

(उमेश कुमार उपाध्याय)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन

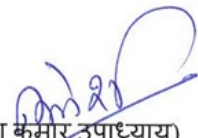
## Allotment Grid Report

**वित्तीय वर्ष:-2019-2020**  
**आवंटन दिनांक-26/03/2020**

**प्रेषण संख्या:-** 156  
**आवंटन आदेश संख्या:-** 160-33  
**अनुदान संख्या:-** 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)  
**लेखाशीर्षक:-** 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय  
(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                    |                    | 42-अन्य व्यय          | योग                   |
|-------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--          | वर्तमान<br>प्रगामी | 2500000<br>44500000   | 2500000<br>44500000   |
| 2     | बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 2000000<br>34000000   | 2000000<br>34000000   |
| 3     | फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 3000000<br>57000000   | 3000000<br>57000000   |
| 4     | वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 7500000<br>57000000   | 7500000<br>57000000   |
| 5     | मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 6000000<br>58000000   | 6000000<br>58000000   |
| 6     | देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 3000000<br>45000000   | 3000000<br>45000000   |
| 7     | सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 9000000<br>51000000   | 9000000<br>51000000   |
| 8     | गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 2500000<br>38500000   | 2500000<br>38500000   |
| 9     | बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--        | वर्तमान<br>प्रगामी | 4000000<br>41000000   | 4000000<br>41000000   |
| 10    | बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--      | वर्तमान<br>प्रगामी | 6000000<br>49000000   | 6000000<br>49000000   |
| 11    | सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 7000000<br>66830000   | 7000000<br>66830000   |
| 12    | गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 1000000<br>33000000   | 1000000<br>33000000   |
| 13    | चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--       | वर्तमान<br>प्रगामी | 5000000<br>42000000   | 5000000<br>42000000   |
| 14    | बागपत-4217-जिलाधिकारी , --01--         | वर्तमान<br>प्रगामी | 1500000<br>33500000   | 1500000<br>33500000   |
| 15    | अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--         | वर्तमान<br>प्रगामी | 15000000<br>62000000  | 15000000<br>62000000  |
|       | <b>योग</b>                             | वर्तमान<br>प्रगामी | 75000000<br>712330000 | 75000000<br>712330000 |

**महायोग- (वर्तमान आवंटन):-** रूपया सात करोड़ पचास लाख  
**महायोग- (प्रगामी आवंटन):-** रूपया इकत्तर करोड़ तेइस लाख तीस हजार

  
(उमेश कुमार उपाध्याय)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त संगठन  
उ०प्र० शासन